

## परिशिष्ट

### (देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की  
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

#### भाग-1 (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

##### परियोजना विवरण :-

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम

का संक्षिप्त विवरण।

जनपद अल्मोड़ा के मजखाली-दिगोटी मोटर  
मार्ग से मजेठी ग्राम तक मोटर मार्ग लम्बाई  
4.00 किमी।

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि  
और उसके आस-पास के वनों की  
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

पत्तावली में संलग्न है

ग) परियोजना की लागत।

140.00 लाख

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

इस्के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर सर्वेक्षण  
किया गया तकनीकी दृष्टि से वैकल्पिक  
स्थान निरस्त किये गये।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये  
जानेके लिए)

लागू नहीं

च) रोजगार जिनके पैदा होने की  
संभावना है।

कुटीर उद्योग/फल सब्जी/अनेक रोजगार

2.

कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार  
विवरण।

सिविल वेनाप भूमि	-	0.638 है
नाप भूमि	-	2.962 है
<b>कुल भूमि</b>	<b>-</b>	<b>3.600 है</b>

3.

परियोजना के कारण लोगों को हटाने का  
विवरण, यदि कोई है।

किसी भी परिवार को नहीं हटाया जाना है।

क) परिवारों की संख्या

शून्य

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के  
परिवारों की संख्या

शून्य

ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने  
के लिए)

लागू नहीं है।

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986  
के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?  
(हाँ / नहीं)
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके  
अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक  
वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य  
सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के  
अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र  
आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता  
(वचनवद्धता संलग्न की जाये)  
निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण  
पत्रों / दस्तावेजों का व्यौरा ।
- नहीं
- संलग्न है।
- संलग्न है।

दिनांक 16/10/2018  
स्थान अल्मोड़ा

(ई० एच०स०पाण्डे)  
अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लो०निंविं०,  
अल्मोड़ा

प्रस्ताव की कम संख्या.....  
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)